राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20(101)02/आयो./विअवि/2013/1738 दिनांक 30 सितम्बर 2013

आदेश

राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप राज्य में इस सत्र मे 39 नवीन राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं । इन महाविद्यालयों को यथासंभव इस सत्र 2013–14 मे प्रारम्भ किया जाना है । शैक्षणिक सत्र 2013–14 की अवधि का बडा भाग व्यतीत हो जाने पर यह स्वभाविक है कि सुचारू अध्यापन एव अन्य आधारभूत संरचना स्थापित करने मे विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड सकता है । अतः संभावित कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. प्रत्येक नवीन राजकीय महाविद्यालय उसके निकटस्थ पूर्व संचालित राजकीय महाविद्यालय के मार्गदर्शन में रहेगा तथा वहाँ के प्राचार्य से आवश्यक आदेश–निर्देश प्राप्त करेंगे एवं किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति होने पर वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे । नवीन महाविद्यालय जिस सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय से आदेश–निर्देश एवं सहायता प्राप्त करेगें, की सूँची संलग्न है ।

2. नवीन स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में अधिकांश नवीन महाविद्यालयों के लिये अस्थाई भवन की उपलब्धता सुनिश्चित्त की जा चुकी है एवं शेष में भवन हेतु अविलम्ब व्यवस्था कर ली जावेगी । नवीन राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य आवश्यकतानुसार फर्नीचर की व्यवस्था डी.जी.एण्ड .डी. रेट पर कय करके सुनिश्चित करेंगे । नवीन महाविद्यालयों को बजट देने की प्रकिया में देरी होने पर सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय के छात्र निधि. कोष अथवा महाविद्यालय विकास समिति कोष से भुगतान किया जावेगा । नवीन महाविद्यालय में बजट प्राप्त होने पर सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय को उसका पुर्नभरण कर दिया जावेगा ।

3. समस्त नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु उस क्षेत्र में चल रहे सहशिक्षा महाविद्यालय की छात्राओं को नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों में स्थानान्तरित करने की अनुमति विभाग द्वारा दी जाती है । यह सुनिश्चित किया जावे कि इस प्रकार के स्थानान्तरण होने पर पूर्व महाविद्यालय का यथावत सुचारू रूप से संचालन हो तथा नवीन राजकीय महाविद्यालयो में भी समस्त न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जावे।

4. ऐसे विषयों जिनमें व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं हो पायी है उन विषयों के सुचारू अध्यापन हेतु सेवानिवृत्त व्याख्याताओं (गेस्ट फैकल्टी) से अध्यापन करवाया जा सकता है जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक न हो । सेवानिवृत्त व्याख्याताओं से अध्यापन कार्य करवाने बाबत प्रति कालांश 500/– रू0 (प्रति घण्टा) मानदेय का भुगतान किया जावेगा एवं अध्यापन कार्य की एक सेवानिवृत्त व्याख्याता की प्रतिमाह अधिकतम अवधि (कालांश) 36 घण्टे हो सकती है ।

Scanned by CamScanner

19

5 नवीन राजकीय महाविद्यालयों में अशैक्षणिक स्टाफ के स्वीकृत पद रिक्त होने पर शेष में अधिकतम 65 वर्ष की आयु वाले ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो समकक्ष पद/पे-बैण्ड पर कार्य कर चुके हों पे माइनस पेंशन(Pay minus pension) के आधार पर अधिकतम दिनांक 30-6-2014 तक रखने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के पदस्थापन आवश्यक होने व व्यक्ति उपलब्ध होने पर प्राचार्य प्रकरण बनाकर निदेशालय भेजेंगे तथा निदेशालय सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित महाविद्यालय को भेजेगा।

उक्त निर्देशों की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावे तथा किसी प्रकार की समस्या अनिश्चय की स्थिति में निदेशालय से तुरन्त सम्पर्क किया जावे।

(नवीन जैन)
निदेशक

कमांक : एफ 20(101)02/अयो./निःतशि/2013/1739-1745 दिनांक : 30.9.13

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कार्मिक,प्रशासन, अकादमी, योजना एवं समन्वय
4. समस्त प्राचार्य, संबंधित सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय
5. समस्त प्राचार्य, नवीन राजकीय महाविद्यालय
6. मुख्य लेखाधिकारी निकाशि जयपुर
7. रक्षित पत्रावली।

(आर0एस0 मक्कड़)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned by CamScanner

18

राजस्थान जयपुर

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ20 ( )आयो/निकाशि/2013/1721-1724 दिनांक 27-9-2013

आदेश

राजस्थान राज्य के 8 जिलों में 10 नवीन राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रकिया एवं अन्य राजकीय प्रकिया पूर्ण करने के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य कर महाविद्यालय की स्थापना में योगदान कर सकने वाले तथा **संलग्न सूची** के विषय के अध्यापन हेतु व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति तत्काल रूप से की जानी है । इस हेतु वर्तमान राजकीय महाविद्यालयो मे कार्यरत व्याख्याताओं से स्वैच्छिक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिन महाविद्यालयों से व्याख्याता स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आवेदन पत्र प्रेषित कर रहे हैं वहाँ उस विषय में " पूर्ण रिक्त" की स्थिति उत्पन्न नहीं हो । आवेदन पत्र सादे कागज पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2013 तक सायं 6.00 बजे तक डाक/वाहक/स्केन कर ई-मेल के माध्यम से निदेशालय में भिजवायें ।

ई-मेल निम्नानुसार है :-

cce_raj@yahoo.com
commissioner.cce@rajasthan.gov.in

ज्ञात रहे आपका आवेदन आपकी प्रतिनियुक्ति हेतु गारण्टी नहीं है, वरन् सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा कर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही अंतिम रूप से निर्णय किया जायेगा ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
2. संयुक्त निदेशक, स्थापना
3. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को उक्त आदेश अपलोड करने हेतु ।

(डा0 सी0एम0 खटीक)
संयुक्त निदेशक, आयोजना

Scanned by CamScanner

18	सवाई माधोपुर	बामनवास	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बामनवास खुर्द के दक्षिणी खण्ड में निर्मित 6 कमरे	राज0 महा0 गंगापुरसिटी
19	भरतपुर	पहाड़ी		राज0 महा0 भरतपुर
20		कामां		राज0 कन्या महा0 भरतपुर
21	चित्तौड़गढ़	कपासन	राजकीय महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय, कपासन के कक्ष क्रमांक 43 से 48 की विंग	राज0 महा0 चित्तौड़गढ़
22	राजसमन्द	कुम्भलगढ़	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलवाड़ा (कुम्भलगढ़)	राज0 महा0 राजसमन्द
23	झुंझुनू	नवलगढ़	मिट्ठूका की धर्मशाला, नवलगढ़	राज0 महा0 झुंझुनू
24		गुढ़ा।	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुढ़ा 12 कमरे ।	राज0 कन्या महा0 झुंझुनू
25	अलवर	तिजारा	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिजारा	राज0 महा0 अलवर
26	जोधपुर	बिलाड़ा	एसएमसी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पोलियावास (बिलाड़ा) के एस.एस.ए. परिसर में 7 कमरे ।	राज0 महा0 भोपालगढ़
27		बालेसर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालेसर में 5 कक्षा कक्ष।	राज0 कन्या महा0 पीपाड़ सिटी
28	पाली	बाली	प्राथमिक विद्यालय, बाली का भवन ।	राज0 महा0 पाली
29	बाड़मेर	सिवाना		राज0 महा0 बाड़मेर
30		गुढ़ामलाणी		राज0 कन्या महा0 बाड़मेर
31	जालौर	सांचौर	राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय सांचौर में द्वितीय पारी में 10 कमरे	राज0 महा0 जालौर
32	टोंक	निवाई	राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, निवाई के 6 कमरे	राज0 महा0 टोंक
33	नागौर	जायल	बी.आर.सी.एफ. भवन, जायल	राज0 महा0 नागौर
34	भीलवाड़ा	जहाजपुर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाजपुर में 7 कमरे ।	राज0 महा0 भीलवाड़ा
35		रायपुर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुर में 5 कमरे।	राज0 कन्या महा0 भीलवाड़ा
30		आसीन्द		राज0 महा0 शाहपुरा (भीलवाड़ा)
37	कोटा	सांगोद	सांगोद स्थित धर्मशाला	राज0 महा0 कोटा
38	प्रतापगढ़	परियावाद		राज0 महा0 प्रतापगढ़
39	बारां	मांगरोल		राज0 महा0 बारां

१०४

Scanned by CamScanner

विषय / महाविद्यालय का नाम	जिला	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास	उर्दू	गृह विज्ञान	राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र	लाइब्रेरी साइंस	संस्कृत	चित्रकला
1 राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर	भीलवाड़ा	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान			संस्कृत	
2 राजकीय महाविद्यालय, रायपुर	भीलवाड़ा	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान			संस्कृत	
3 राजकीय महाविद्यालय, गुढा	झुंझुनू	अर्थशास्त्र	अंग्रेज़ी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र			
4 राजकीय महाविद्यालय गुढामलाणी	बाड़मेर	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य		हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र		संस्कृत	
5 राजकीय महाविद्यालय, सांगोद	कोटा			भूगोल	हिन्दी साहित्य		उर्दू	गृह विज्ञान	राजनीति विज्ञान			संस्कृत	चित्रकला
6 राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर	अजमेर	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र			
7 राजकीय महाविद्यालय, मांगरोल	बारां	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र			
8 राजकीय महाविद्यालय, धरियावद	प्रतापगढ	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र			
9 राजकीय महाविद्यालय, कोलायत	बीकानेर	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र			
10 राजकीय महाविद्यालय, आसीन्द	भीलवाड़ा	अर्थशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	भूगोल	हिन्दी साहित्य	इतिहास			राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र			

Scanned by CamScanner

क्रमांक प. 7(8)शिक्षा/ग्रुप–3/2018 जयपुर, दिनांकः 15 MAR 2018

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2018–19 के बिन्दु संख्या 105 की क्रियान्विति के फलस्वरूप निम्नानुसार स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत किये जाने की सहमति स्वरूप निम्नानुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक नवीन पदों के सृजन/क्रमोन्नत किये जाने पर निर्धारित मापदण्डानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. मांग संख्या–24
बजट मद 2202–03–103–02–राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये) राज्य निधि

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित विषय	पदनाम Upgradation of post	नवीन पदों के सृजन की संख्या
1	मुढ़ा गौडजी (उदयपुरवाटी), झुन्झुनू	राजनीति विज्ञान	प्राचार्य (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) व्याख्याता (ग्रेड–पे 6000, वेतनमान 15600–39100 यूजीसी) पुस्तकालयाध्यक्ष (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) शारीरिक शिक्षक (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत)	– 02– व्याख्याता – –
2	औसिया–जोधपुर	राजनीति विज्ञान, इतिहास	प्राचार्य (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) व्याख्याता (ग्रेड–पे 6000, वेतनमान 15600–39100 यूजीसी) पुस्तकालयाध्यक्ष (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) शारीरिक शिक्षक (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत)	– 04– व्याख्याता – –
3	शिवगंज(सिरोही)	हिन्दी साहित्य, इतिहास, ए.बी.एस.टी., रसायन शास्त्र	प्राचार्य (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) व्याख्याता (ग्रेड–पे 6000, वेतनमान 15600–39100 यूजीसी) पुस्तकालयाध्यक्ष (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) शारीरिक शिक्षक (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) प्रयोगशाला सहायक	– 08– व्याख्याता – – 01–प्रयोगशाला सहायक
4	रतनगढ़(चूरू)	राजनीति विज्ञान, इतिहास	प्राचार्य (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) व्याख्याता (ग्रेड–पे 6000, वेतनमान 15600–39100 यूजीसी) पुस्तकालयाध्यक्ष (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) शारीरिक शिक्षक (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत)	– 04– व्याख्याता – –
	कुल नवीन पदों का सृजन			19

2. मांग संख्या–24
बजट मद 2202–03–103–03–राजकीय महाविद्यालय (स्त्रीयों के लिये) राज्य निधि

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित विषय	पदनाम Upgradation of post	नवीन पदों के सृजन की संख्या
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	इतिहास, हिन्दी साहित्य	प्राचार्य (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) व्याख्याता (ग्रेड–पे 6000, वेतनमान 15600–39100 यूजीसी) पुस्तकालयाध्यक्ष (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत) शारीरिक शिक्षक (पीजी स्तर पर क्रमोन्नत)	– 04– व्याख्याता – –
	कुल नवीन पदों का सृजन			04

1. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 105 की क्रियान्विति के फलस्वरूप उक्त बजट मदों में क्रमोन्नत स्नातक से स्नातकोत्तर महाविद्यालयों हेतु आवश्यक आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के संबंधित विभागीय बजट मदों में उपलब्ध प्रावधान से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें एवं होने वाले आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आवश्यक आंकलन कर अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव यथा समय (संशोधित अनुमान वर्ष 2018–19 या पूर्व में) वित्त विभाग को प्रेषित किया जावें।

2. चूंकि उक्त बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित है। अतः पदों का सृजन एवं आवश्यक वित्तीय सहमति दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी होगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101800987 दिनांक 14.03.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

कृ.प.उ.

Scanned by CamScanner

(18)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20/101/2/आयो/ आकाशि/2018–19 मय नोटशीट के ।
09 संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
10 सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
12 सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
13 रक्षित पत्रावली।

(चन्द्र प्रकाश चावला)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाँक : एफ 20 (101/02) आयो/आकाशि/18–19/ 871–883 दिनांक :26 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
4. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी./प्रशासन) – कृपया उक्त स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों को भरने तथा कार्यव्यवस्थार्थ वैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त निदेशक (अकादमी)– कृपया स्वीकृत उक्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत विषयों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
8. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर – कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा की अनुपालना में खोले गये उक्त नवीन विषयों की सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क के जारी करवाने का कष्ट करें।
9. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय।
10. वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

26/3/18
(डॉ. बी.एस. शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)

Scanned by CamScanner